

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pcef-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-31 / 2018-1354 दिनांक : ०५/११/८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल / कोडरमा वन प्रमण्डल /
उप निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का
सुदृढ़ीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पक्का सीमा स्तम्भ निर्माण हेतु
रु0 133.038 (एक करोड़ तौंतीस लाख तीन हजार आठ सौ रुपये)
मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-32 / 2018-12 / स्वी0 व0प0 दिनांक
20.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-32 / 2018-
55 / आ0 व0प0 दिनांक 23.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण,
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 133.038 (एक करोड़ तौंतीस
लाख तीन हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया
जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101480103	53.215
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101480323	79.823
कुल :-		133.038

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी
संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय
प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। सीमा स्तम्भ निर्माण संबंधी प्राक्कलन
अनुलग्नक-2 तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।



3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101480103 एवं 19S240601101480323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भ

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य में स्वीकृत राशि से अधिक निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्रावकलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जाएग।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
17. यह राशि उन स्थलों के लिए उप आवंटित की जी है, जिनका डी0जी0पी0एस0 सर्वे का कार्य पूर्ण करा ली गई है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—३१ / २०१८—१३५४ दिनांक— ०५ / ११ / १४

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / हजारीबाग इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—३१ / २०१८—१३५४ दिनांक— ०५ / ११ / १४

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सररायकेला—खरसावा / कोडरमा / मेदिनीनगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढ़ीकरण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार पक्का सीमा स्तम्भ का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (रु0 3441.25 प्रति सीमा स्तम्भ)

क्र0 सं0	निकास एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (सीमा स्तम्भ की सं0)	प्रावकलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	911	31.350	12.540	18.810	31.350
2	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	2705	93.085	37.234	55.851	93.085
3	पलामू व्याघ परियो उत्तरी प्र0, मेदिनीनगर	250	8.603	3.441	5.162	8.603
	सकल योग:-	3866	133.038	53.215	79.823	133.038

प्रधान मुख्य वन संसाक्षणिका
झारखण्ड राँची



आवंटन आदेश

प्रारंभिक सरकार

वार्ता वित्तीय वर्ष 2018-19 में विध्य से हुए निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के समने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-31/2018/1354

३५४

05-Nov-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं स्वयन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101480103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	68647	SKLFOR001 ABHISHEK KUMAR D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,254,000.00 रुपये बारह लाख चौपन हजार
2	S 19 240601101480103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	68649	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	3,723,400.00 रुपये सैतीस लाख तेहस हजार चार सौ
3	S 19 240601101480103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	68651	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR,TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	344,100.00 रुपये तीन लाख चयालीस हजार एक सौ

३०

कल्पित सौरा-

ਰੁਪਾਖੇ ਤੀਰਪੜ ਲਾਖ ਤੁਹਾਡੀਸ਼ ਛੁਆਰ ਪੋਤਾ ਸਮੈ

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	68653	SKLFOR001 ABHISHEK KUMAR D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,881,000.00 
5	S 19 240601101480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	68654	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	5,585,100.00 
6	S 19 240601101480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : CONSOLIDATION OF FOREST BOUNDARIES(0977) Central Scheme : NA	68655	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	516,200.00 
<hr/>				
योग:				7,982,300.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ तैतीस लाख तीन हजार अठ तौ			13,303,800.00